

कार्यालय-अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आदेशांक वा0क0अधि0/यु0पी0ग0/ /2023, लखनऊ, दिनांक :: 21 :: जुलाई, 2023  
--: आदेश ::--

उत्तर प्रदेश वैट नियमावली-2008 के नियम 64(3) में निहित शक्तियों के अधीन माह अगस्त-2023 में आदेश सं0 915/2023 दिनांक 13-07-2023 द्वारा गठित युगल पीठ में अपरिहार्य परिस्थितियों में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:-

क0सं 01	बैठने स्थान 02	कार्य आवंटन 03	कार्य- अवधि 04	युगलपीठ में सम्मिलित होने वाले सदस्य	
1	पीठ-1, आगरा	पीठ-1 व 2 आगरा।	दिनांक 07.08.2023 से 10.08.2023	सदस्य पीठ- झांसी, सदस्य पीठ-2, कानपुर	न्यायिक विभागीय
2	पीठ-1 नोएडा	पीठ-1 व 2 नोएडा।	दिनांक 07.08.2023 से 10.08.2023	सदस्य पीठ-1, मेरठ सदस्य पीठ-4, कानपुर	न्यायिक विभागीय
3	पीठ-1, गाजियाबाद	पीठ-1 व 2 गाजियाबाद।	दिनांक 21.08.2023 से 24.08.2023 दिनांक 28.08.2023 से 30.08.2023	सदस्य पीठ- गोरखपुर सदस्य पीठ-2, लखनऊ सदस्य पीठ-1, मेरठ सदस्य पीठ-5, वाराणसी	न्यायिक विभागीय न्यायिक विभागीय

पूर्व निर्गत आदेश दिनांक 13-07-2023 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाये। शेष खण्डपीठ कार्यक्रम यथावत बना रहेगा।

ह0-21-07-2023,

(रणधीर सिंह)

एच0जे0एस0,

अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन: वा0क0अधि0/यु0पी0ग0/923 /2023, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, कानपुर पीठ-2 व 4 कानपुर/पीठ-1 व 2 नोएडा/पीठ-1, मेरठ, पीठ-झांसी एवं पीठ-5 वाराणसी।
- 2- कमिश्नर, वाणिज्यकर, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
- 3- मुन्सरिम/पेशकार/वरिष्ठ सहायक (यात्रा भत्ता/विवरण/कम्प्यूटर) मुख्यालय।
- 4- सम्बन्धित अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष/सचिव, द्वारा पीठासीन अधिकारी।

निबन्धक,

वाणिज्य कर अधिकरण,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।